

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/240/2012/ 1121

भोपाल, दिनांक 13/7/12


//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य हाईस्कूल का प्रशासनिक आधार पर समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है :-

स. क्र.	नाम एवं पद	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्रीमती श्रद्धा पाठक	BJ7812	प्रभारी प्राचार्य शा. उमावि बोरिया जिला जबलपुर	शा. हाईस्कूल राजा बरखेड़ा पाटन जिला जबलपुर

- 2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये ।
- 3/ यदि किसी प्राचार्य की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये ।
- 4/ यदि किसी प्राचार्य को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो पुनः उसी स्थान हेतु उसे कार्यमुक्त / पदभार ग्रहण न कराया जाए ।
- 5/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा ।
- 6/ कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा ।
- 7/ स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वॉइन् करने के पश्चात स्वीकृत किया जाएगा ।
- 8/ उपरोक्त स्थानान्तरण से हाईस्कूल संस्था में प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है तो कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराया जाए ।
- 9/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


आयुक्त 13/7
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

- 1 निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
- 2 प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 3 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 4 संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
- 5 संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
- 6 संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
- 7 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... मध्यप्रदेश।
- 8 संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
- 9 संबंधित संस्था प्राचार्य मध्यप्रदेश ।
- 10 संबंधितजन
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(Signature)
आयुक्त 13/7
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/240/2012/ 1123

भोपाल, दिनांक 13/7/12

//आदेश//


लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य हाईस्कूल का स्वेच्छिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

स. क्र.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्रीमती भारती शर्मा	BC3707	शा. हाईस्कूल श्रीनगर जिला नरसिंहपुर	शा. हाईस्कूल धनगुवां मझौली जिला जबलपुर 23390366607

2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3/ उपरोक्त स्थानान्तरण से हाईस्कूल संस्था में प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है तो कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराया जाए।

4/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



आयुक्त 13/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 13/7/12

पृ. क्रमांक/स्था-1/राज/पी/240/2012/ 1124
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
9. संबंधित संस्था प्राचार्य
10. संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


आयुक्त 13/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश